

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

कीर्तसीन अधिकारी :
प्रकरण संख्या :

601/2018

श्री मती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
2. बुटा सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
3. बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
4. बुटा सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
5. जगदीश कौर पत्नी बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
6. स्वर्ण सिंह पुत्र बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
7. बुटा सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
8. जगसीर सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
9. जगतरण सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
10. बलकरण सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
11. बलदेव सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
12. बलजिन्द्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
13. सुखवंत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
14. सरबन सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
15. मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
16. सरजीत कौर पत्नी माला सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
17. कर्मजीत कौर पुत्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
18. अवतार सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
19. बलदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
20. जसवीर कौर पत्नी कलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
21. अमरजीत कौर पुत्री निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
22. अंग्रेज सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
23. धरविन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
24. बेअंत सिंह पुत्र बजीर सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
25. हरवंस सिंह पुत्र बजीर सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
26. जगसीर सिंह पुत्र बचन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
27. हरवंश कौर पत्नी बचन सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
28. यादविन्द्र सिंह पुत्र साधा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।

....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय--

दिनांक : 4/2/2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीकरणपुर पैरोकार राज के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया कि चक 10 एफ ए की जमाबंदी सम्वत् 2052 ता 55 के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नं. 9,40,23,24,41,52,की कुल 24.862 है. नहरी मय खाला 98 बीघा 6 विस्वा) रकबा गुरचरण सिंह पुत्र रामदिता सिंह आदि, स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 5000 हिस्सा. बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह 1000 हिस्सा ,बुटासिंह पुत्र गजनसिंह 80 हि. जगदीशकौर पत्नि बुटासिंह 80हि.,स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 40हि. आदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अनवान प्रकरण संख्या 601/2018 अनवान स्टेट बनाम गुरदेव सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

हिरसा बिश्वांसी में दर्ज था। और सहखातेदारो के हिरसो का योग 39320 हिस्सा दिया गया है।
हिरसा बिश्वांसी में दर्ज है।
इस खाता संख्या 9 में हरपाल सिंह आदि व दलीप कौर आदि के कुल 3496 हिस्सा एवं

गुरदेव सिंह पुत्र हजारा सिंह 400 हिस्सा का वैयनामा इन्तकाल संख्या 162,181 द्वारा गुरदेवसिंह पुत्र
बकशीशसिंह निवासी रडेवाला को किया गया जो अगली जमाबंदी सम्बत् 2056 ता 59 में सहवन से
गुरदेव पुत्र बकशीशसिंह 3496 हिस्सा ही दर्ज हुआ इस प्रकार गुरदेव सिंह पुत्र बकशीशसिंह सिंह
3496 हिस्सा अर्थात 2.211 है. के स्थान पर 3496+400=3896 हिस्सा अर्थात 2.464 हिस्सा
उत्पन्न किया जाना उचित है।


इस खाता संख्या 9 में उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के द्वारा जारी डिग्री दिनांक
30.01.2006 की पालना में इन्तकाल संख्या 355 के द्वारा स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 3.162 है.
बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह 0.633 है., बुटा सिंह पुत्र गजनसिंह 1.012 है. जगदीशकौर पत्नी
बुटा सिंह 1.012 हैक. स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 0.506 हैक. का रकबा मुरब्बा नं. 23 का किला नं.
1 ता 25 कुल 6.325 हैक. नहरी का बटवारा नामा कर प्रतिवादिगण का इंतकाल कालम संख्या 8
की क्रम संख्या 1 पर दर्ज किया गया परन्तु बुटासिंह पुत्र गजन सिंह 80हिस्सा (0.051 हैक.)
जगदीशकौर पत्नी बुटा सिंह 80हिस्सा (0.051 हैक.),स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 40हिस्सा (0.025 हैक.)
कुल 200 हिस्सा (बिस्वांसी) अर्थात 0.126 हैक. हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। परन्तु 3
सहकास्तकारों को बिस्वा मानकर कुल 2.530 हैक. रक्बा दिया गया जो कि गलत दर्ज किया गया।
जिससे खाते का योग 9 बीघा 10 बिस्वा कम हो गया जो कि खाते में 9 बीघा 10 बिस्वा रकबा
जोडकर सही किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो अन्दर मियाद पेश है अतः
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 10 एफ ए की जमाबंदी सम्बत् 2072 ता 75 के खाता
संख्या 43 (गुरदेव सिंह पुत्र बकशीशसिंह सिंह 3496 हिस्सा अर्थात 2.211 है. के स्थान पर
3496+400=3896 हिस्सा अर्थात 2.464 हिस्सा,बुटासिंह पुत्र गजन सिंह 80 हिस्सा (0.051 हैक.),
जगदीशकौर पत्नी बुटा सिंह 80 हिस्सा (0.051 हैक.),स्वर्णसिंह पुत्र बुटासिंह 40 हिस्सा (0.025
हैक.) कुल 200 हिस्सा (बिस्वांसी) अर्थात 0.126 हैक. हिस्सा दर्ज हो चाहिए था परन्तु 3
सहकास्तकारों को बिस्वा मानकर कुल 2.530 हैक. रक्बा दिया गया जो कि गलत दर्ज किया गया।
जिससे खाते का योग 9 बीघा 10 बिस्वा कम हो गया जो कि खाते में 9 बीघा 10 बिस्वा रकबा
जोडकर सही किया जाना उचित है।) और इसी खाता में बुटासिंह पुत्र गजन सिंह 0.295 हैक.,
जगदीशकौर पत्नी बुटा सिंह 0.929 हैक. हटाया जाना उचित है। डीआईएलआरएमपी योजना के
अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रविष्टियों को दुरूस्त कर आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
अप्रार्थी संख्या 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,,24,25, 26,27, की तलबी
विधिवत रूप से होकर प्राप्त। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हुई।

प्रकरण के संबंध में पूर्व में निर्णित वाद प्रकरण संख्या 10/2006 अनवान स्वर्ण सिंह बनाम
सुखवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए निर्णय दिनांक 30.01.2006 की पत्रावली जिला
अभिलेखागार श्रीगंगानगर से तलब की गई।

पैरोकार राज के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र में
निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं है। मद संख्या
के संबंध में निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के द्वारा जारी डिग्री दिनांक
30.01.2006 की पालना में खाता संख्या 24 में इन्तकाल 355 द्वारा स्वर्ण सिंह पुत्र बुटा सिंह
3.162 हैक्टर, बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह 0.633 हैक्टर, बुटा सिंह पुत्र गजन सिंह 1.012



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अनवान प्रकरण संख्या 601/2018 अनवान स्टेट बनाम गुरदेव सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

हैक्टर, जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह 1.012 हैक्टर, स्वर्ण सिंह पुत्र बूटा सिंह 0.506 हैक्टर रकबा मु० नं० 3 मे किला नं० 1 ता 25 नहरी का बटवारानामा प्रतिवादीगण का इन्तकाल कौलम संख्या 8 की क्रम संख्या 1 पर दर्ज किया। स्वर्ण सिंह, बलदेव सिंह का हिस्सा विश्वांसी के हिसाब से और बूटा सिंह, जगदीश कौर, स्वर्ण सिंह इत्यादि का हिस्सा बिस्वा के हिसाब से डिक्री जारी कर दी। बूटा सिंह पुत्र गज्जन सिंह 80 हिस्सा (विश्वंसी) अर्थात् 0.051 हैक्टर, जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह 80 हिस्सा (विश्वंसी) अर्थात् 0.051 हैक्टर, स्वर्ण सिंह पुत्र बूटा सिंह 40 हिस्सा (विश्वंसी) अर्थात् 0.025 हैक्टर कुल 200 हिस्सा (विश्वंसी) अर्थात् 10 बिस्वा अर्थात् 0.126 हैक्टर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। डिक्री के समय खाता विश्वंसी मे था। इस तीनों सहकाशतकारों बूटा सिंह, जगदीश कौर, स्वर्ण सिंह का हिस्सा बिस्वा मानकर कुल 2.530 हैक्टर रकबा दिया गया जो गलत दिया गया जिससे खाते का योग कम हो गया। अतः इस खाते को दुरुस्त करने के लिये चक 10 एफए के खाता संख्या 43 मे जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह का हिस्सा 0.928 हैक्टर व बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह का हिस्सा 0.339 हैक्टर को कलमजन किया जाना तथा खाता संख्या 76 मे से मु० नं० 23 के किला नं० 21 मे से 0.088 हैक्टर, किला नं० 22 ता 25 की 1.012 हैक्टर, खाता संख्या 43 मे लाने पर और इस खाता संख्या 76 मे बूटा सिंह पुत्र गज्जन सिंह का अंकित 1.012 हैक्टर रकबा मे से 0.550 हैक्टर रकबा कम करके 0.462 हैक्टर रकबा अंकित करने व जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह का अंकित 1.012 हैक्टर रकबा मे से 0.551 हैक्टर रकबा कम करके 0.461 हैक्टर रकबा अंकित करने पर यह अपवादित खाता दुरुस्त हो जाता है, जिसके आदेश दिये जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 बूटा सिंह पुत्र गज्जन सिंह, प्रतिवादी संख्या 5 जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह प्रतिवादी संख्या 6 स्वर्ण सिंह पुत्र बूटा सिंह व प्रतिवादी संख्या 3 बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह उपस्थित आये एवं सहमति हलफनामा प्रस्तुत किया। हलफनामा मे चारो के द्वारा हलफन ब्यान किया कि चक 10 एफ ए की चारा साला जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 43/43 के मु०न० 9, 24, 40, 52, 57/1, 57/5, 57/11 की कुल 9.846 है० नहरी मय खाला भूमि मे से जगदीश कौर पत्नी बुटा सिंह के नाम 0.928 है० नहरी भूमि, बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम 0.339 है० नहरी भूमि है। उक्त रकबा हमारे नाम गलती से अंकित हुआ है तथा उक्त रकबा की डिक्री जब हमारे द्वारा करवाई गई उस समय हमे यह रकबा खाता संख्या 76/76 के मु० न० 23 मे बंटवारा मिल गया था तथा खाता संख्या 43/43 मे जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह के नाम भूमि 0.928 है० नहरी भूमि है, बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम 0.339 है० नहरी भूमि है। उक्त भूमि को खाता मे कम करके हमारे दोनो का नाम हटवाया जावे जिसमे हमे कोई ऐतराज नही होगा और न ही ऐतराज किया जायेगा तथा खाता संख्या 76/76 के मु० न० 23 मे बूटा सिंह पुत्र गज्जन सिंह के नाम से 1.012 है० रकबा व जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह के नाम 1.012 हैक्टर भूमि है इसमे बूटा सिंह पुत्र गज्जन सिंह के 1.012 हैक्टर रकबा मे से 0.550 है० कम करके व जगदीश कौर पत्नी बुटा सिंह के नाम 1.012 है० भूमि मे से 0.551 है० भूमि कम करके मु० न० 23 के किला न० 21 मे से 0.088 है० व किला नं० 22 ता 25 मे से 1.012 है० कुल रकबा 1.101 है० भूमि को उक्त खाता मे से कम करके खाता संख्या 43/43 मे जोडा जावे जिस पर हम सहमत है। यह तमाम कार्यवाही हमारे हलफनामा पर कर दी जावे। खाता संख्या 76/76 मे स्वर्ण सिंह पुत्र बूटा सिंह का नाम है, जिस पर स्वर्ण सिंह पुत्र बुटा सिंह भी सहमत है। इस दावा मे हमारे हलफनामा अनुसार निर्णय किया जावे किये गये निर्णय पर हमे कोई ऐतराज नही होगा। इस निर्णय पर हम सहमत है।



रिजिस्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

धैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि इस खाता मे यह त्रुटियां रिकार्ड की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार यह अशुद्धियां सही किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार प्रविष्टियों को दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। धैरोकार राज को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन संलग्न जमाबंदियों एवं दस्तावेजो, रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1. चक 10 एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 43/43 मे अंकित जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह 0.928 हैक्टर, बलदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह 0.339 हैक्टर कुल रकबा 1.267 हैक्टर कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. इस चक के खाता संख्या 76 के मु0 नं0 23 के किला नं0 21 मे से 0.089 हैक्टर रकबा व किला नं0 22 ता 25 का 1.012 हैक्टर कुल रकबा 1.101 हैक्टर, खाता संख्या 43 मे अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है व इस खाता संख्या 76 मे अंकित बूटा सिंह पुत्र गजन सिंह 1.012 हैक्टर रकबा मे से 0.550 हैक्टर रकबा कम करके 0.462 हैक्टर रकबा व जगदीश कौर पत्नी बूटा सिंह का 1.012 हैक्टर रकबा मे से 0.551 हैक्टर रकबा कम करके 0.461 हैक्टर रकबा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 4/2/2019...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(Signature)

श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

उपरवण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर